



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITYसं. 155]
No. 155]नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 28, 2008/चैत्र 8, 1930
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 28, 2008/CHAITRA 8, 1930कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2008

सा.का.नि. 235(अ).—केन्द्रीय सरकार, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 24 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की दूसरी अनुसूची में,—

- (i) क्र. सं. 16 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—
“16. आयकर महानिदेशालय (अन्वेषण)।”;
- (ii) क्र. सं. 17 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—
“17. राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन।”;
- (iii) क्र. सं. 18 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—
“18. वित्तीय आसूचना यूनिट, भारत।”;
- (iv) क्र. सं. 22 और उससे संबंधित प्रविष्टि का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 1/7/2007-आईआर]

ज़ोया सी. बी., अवर सचिव

टिप्पण : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की अनुसूची सा. का. नि. सं. 347 तारीख 28 सितम्बर, 2005 द्वारा संशोधित की गई।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES
AND PENSIONS
(Department of Personnel and Training)
NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2008

G.S.R. 235(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 24 of the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005), the Central Government hereby makes the following further amendments in the Second Schedule to the said Act, namely :—

In the Second Schedule to the Right to Information Act, 2005 :—

- (i) for serial number 16 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—
“16. Directorate General of Income-tax (Investigation).”;
- (ii) for serial number 17 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—
“17. National Technical Research Organisation.”;
- (iii) for serial number 18 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—
“18. Financial Intelligence Unit, India.”; and
- (iv) Serial number 22 and the entry relating thereto shall be omitted.

[F. No.1/7/2007-IR]

ZOYAC. B., Under Secy.

Note: The Schedule to the Right to Information Act, 2005 was amended *vide* No. G.S.R. 347 dated 28th September, 2005.